राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/2015–16 जयपुर, दिनांक 5 नवम्बर,2015

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों की गुणवता जॉच व आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत अभियन्ता/स्वय सेवी संस्था/सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों की सेवाएं लिए जाने बाबत्।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास विभाग, (अनुभाग–3 नरेगा) के पत्रांक एफ 4(9)आरडी आरई एनएलएम/पार्ट–II 08 दिनांक 05 अप्रैल, 2010.

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन/निगरानी कराये जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में व्यक्ति/संस्थाओं से विभाग द्वारा ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' आमन्त्रित की गई, जिसमें से पात्र 28 व्यक्ति/संस्थाओं को चयन कर सूचीबद्ध किया गया है (सूची संलग्न)। सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के अलावा विभागीय स्तर पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के प्रतिनिधियों से बैठक में चर्चा कर संबद्ध सरकारी व गैर सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों की सेवा लिए जाने का निर्णय किया गया है।

सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं जिन्हें आगे तृतीय पक्ष जॉचकर्ता सम्बोधित किया गया है की सेवाऐं, दायित्व व मानदेय प्रासंगिक पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2010 के अनुरूप निम्न शर्तों के अध्याधीन होगी :–

1. मानदेय :–

सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं में से किसी भी व्यक्ति/संस्था से किसी भी जिले में योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग कार्य का निरीक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन से जुडी शिकायत की जॉच करवाई जा सकती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी कार्य करवाया ही जावें। संस्था/व्यक्ति को उनके निवास स्थान/संस्थान के पते पर या ई–मेल/दूरभाष के माध्यम सूचित किया जावेंगा। वित्तीय वर्ष की शुरूआत सभी संस्था/व्यक्ति को अपनी अभिरूचि के जिलों के नामों से अवगत कराना होगा अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संस्था/व्यक्ति राज्य के सभी जिलों में कार्य करने हेतु इच्छुक है।

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता उनको सौपे गये कार्य को निर्धारित अवधि में सम्पादित कर आदेश देने वाले कार्यालय/विभाग को व्यक्तिशः अथवा ई–मेल/कोरियर/डाक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिस हेतु उन्हें कोरियर/डाक का वास्तविक व्यय देय होगा। तृतीय पक्ष अपने मुख्यालय से बाहर व्यक्तिशः रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेंगे, रिपोर्ट pdf format में ई–मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकेगें।